

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 553

दिनांक - 15.07.2022

प्रार्थीगण
1 नीम्बसिंह 2 रामसिंह 3 दुर्गसिंह
पिसरान कानसिंह 4 हिन्दूसिंह 5
सांगसिंह पिसरान बागसिंह 6
फपीदेवी पत्नी बागसिंह 7
तेजसिंह 8 प्रागसिंह पिसरान
सरदारसिंह 9 कवरों कंवर पत्नी
सागरसिंह 10 संतोषसिंह 11
जुंजारसिंह पिसरान देवीसिंह 12
कमलसिंह 13 अर्जुनसिंह 14
कुम्पसिंह 15 गिरधरसिंह पिसरान
पोकरसिंह 16 अन्तरीदेवी पत्नी
पोकरसिंह जाति रावणा राजपूत
निवासी डीगड़ा, आटी तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण


1 नखतसिंह पुत्र पुरखसिंह जाति रावणा राजपूत 2
रावतसिंह 3 पुरखसिंह पिसरान देवीसिंह 4 रुखमादेवी
पत्नी देवीसिंह 5 थानसिंह पुत्र धन्नसिंह 6 लुणसिंह 7
नरपतसिंह 8 पोकरसिंह 9 गोपसिंह 10 शंकरसिंह
पिसरान जुगतसिंह 11 मोरोदेवी पत्नी जुगतसिंह 12
नरसिंही पुत्र प्रभूसिंह 13 हिन्दुसिंह 14 तारसिंह 15
गुमानसिंह 16 गोरधनसिंह पिसरान रुगसिंह 17
मोहनसिंह 18 कुम्पसिंह 19 डामरसिंह 20 वन्दनसिंह
21 हुकमसिंह 22 वालसिंह 23 डउसिंह पिसरान
सांगसिंह जाति राजपुरोहित निवासी लंगेरा 24
आईदानसिंह 25 ओमसिंह 26 हरीसिंह 27 सुरेशसिंह
पिसरान बाबूसिंह 28 लेररी पत्नी बाबूसिंह 29 सांगसिंह
30 बन्नेसिंह 31 कमलसिंह पिसरान चनणसिंह 32 धापू
पत्नी चनणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी डीगड़ा
आटी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 15/2020

दिनांक- 05.07.2022

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 796/310 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 790/310 रकबा 12.18 बीघा, खसरा संख्या 792/310 रकबा 03.01 बीघा, खसरा संख्या 794/310 रकबा 12.19 बीघा, खसरा संख्या 791/310 रकबा 12.18 बीघा, खसरा संख्या 803/381 रकबा 17.11 बीघा, खसरा संख्या 793/310 रकबा 12.19 बीघा, खसरा संख्या 804/381 रकबा 07.05 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2022/ 556-559

दिनांक- 15.07.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. नीम्बसिंह पुत्र कानसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी डीगड़ा, आटी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी नखतसिंह पुत्र पुरखसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर